न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 83/2025 ई.रे.

प्रेमबाई बनाम राजींग वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

// आदेश // **दिनांक :– 24/11/2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र विचाराधीन प्रकरण में पेश करते हुए उल्लेखित किया की वादग्रस्त आराजीयात को लेकर वादीया द्वारा गलत पेश किया गया है तथा वादीया अनुसुचित जनजाति की महिला है जिस पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा अनुसुचित जनजाति में महिलाओं को अपने पिता की संपति में अधिकार प्राप्त नही है प्रथागत रिवाज लागू होते है तथा जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बगदीबाई और रामी बाई के पक्ष में संपादित हुआ है उसको निरस्त किए बिना वाद चलने योग्य नही है। प्रार्थनापत्र में अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए वादीया का वाद निरस्त करने संबंधी कथन किया गया।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र का जवाब पेश करते हुए वादीया की ओर से कथन किया गया की वादीया द्वारा सही वाद पेश किया गया है प्रतिवादी राजींग यानि वादीया के पिता के कोई पुत्र संतान नही होने से वादीया अपना नाम दर्ज कराने और खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने की अधिकारी है तथा उल्लेखित किया की अनुसूचित जनजाति में भी बेटियों को हिन्दु उत्ताधिकार अधिनियम के तहत बराबर अधिकार मिलता है और वादीया को ओर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के विभिन्न बिन्दुयों कानून का उल्लेख किया गया।

हमारे द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुना गया और संबंधित विधि का अवलोकन किया गया यद्यपि वादीया द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया गया है वादीया का यह कथन भी सही है कि पिता की अनुपस्थिति में बेटे के अभाव में पुत्रीयां ही वारिस होती है लेकिन विचाराधीन प्रकरण में परिस्थितियां विपरीत है इसमें वादीया अनुसूचित जनजाति की महिला है और यह विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो और उच्चतर न्यायालयों द्वारा तय किया जा चुका है कि अनुसूचित जनजाति की महिला पर हिन्दू विधि लागू नही होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तीरीथ कुमार एवं अन्य बनाम दादूराम एवं अन्य civil appeal number 13516/2024 के प्रकरण में अनुसूचित जनजातियों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को प्रभावी नहीं माना है। ऐसी परिस्थिति में वादीया का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि वादिया के पिता की संपत्ति मे अधिकार लागू हो जाता है और वह भी उस परिस्थिति में जबकि पिता स्वयं जीवित है तो पिता के जीवन काल में पुत्री को संपत्ति में किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होते है और वादीया का कथन विधि द्वारा वर्जित बातों की श्रेणी में आता है तथा इस वाद में जैसा की रिकार्ड में संपत्ति को विक्रय भी किया जा चुका है तथा अब तक विक्रय पत्र को निरस्त करने का कोई वाद पेश हुआ हो ऐसा भी प्रतित नही हो रहा है। इन परिस्थितियों और तथ्यों की रोशनी में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। तथा वादीया का वाद इसी स्तर पर विधि द्वारा अर्जित वाद की श्रेणी में आने से [illegible] किया जाता है। और वादिया का वाद खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार [illegible])
सहायक कलक्टर
बडीसादडी